भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 160

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

मजदूर संघों के साथ विचार-विमर्श

160. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन, रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन और एकीकृत पेंशन योजना जैसे मुद्दों पर मजदूर संघों के साथ विचार-विमर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और ऑल ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर को उक्त बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था;

(ग) क्या दस संघों ने उक्त बैठक में आईएनटीयूसी और टीयूसीसी को आमंत्रित न किए जाने पर आपत्ति की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अधिकांश मजदूर संघों का यह मत था कि श्रम संहिताएं बड़े कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): "श्रम" एक विषय के रूप में भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और संहिता के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को सौंपा गया है।चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में केन्द्र सरकार ने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है। सरकार ने दिनांक 21.12.2020, 12.01.2021 और 20.01.2021 को सभी चार संहिताओं के तहत केंद्रीय नियमों के मसौदे पर तीन त्रिपक्षीय परामर्श किए थे, जिसमें केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी भाग लिया था।

*****